न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, श्री हनुमान सहाय मीना, आई.ए.एस.

अपील संख्या : 5/2018 गुण्डा नियंत्रण एक्ट

अनवानी :– धर्मेन्द्र पुत्र बूटाराम जाति खत्री, आयु 45 वर्ष निवासी वार्ड नं05, पुरानी आबादी, केदार चौक, श्रीगंगानगर (राज0) ।

----- अपीलांट

-- बनाम --

स्टेट जरिये सहायक लोक अभियोजक, बीकानेर ।

----- रेस्पोडेन्ट

उपस्थित :– श्री अनिल सिंह खीचड़ अभिभाषक अपीलांट
श्री कमलजीतसिंह सहायक लोक अभियोजक, राज्य पक्ष

निर्णय **दिनांक 26.12.18**

1. यह अपील राज. गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 6(1) के अन्तर्गत न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, (नगर) श्रीगंगानगर के निर्णय दिनांक 28.9.2018 जिसके द्वारा अपीलान्ट को राज. गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 3(3) के अन्तर्गत गुण्डा घोषित किया जाकर जिला क्षेत्र श्रीगंगानगर से 6 माह की अवधि के लिए निष्कासित करने के आदेश दिये गये, के विरुध्द इस न्यायालय में प्रस्तुत हुई है ।
2. अपील कें संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि जिला पुलिस अधीक्षक, श्रीगंगानगर द्वारा दिनांक 18.2.14 को जिला मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर के समक्ष राज. गुण्डा नियत्रंण अधिनियम 1975 की धारा 3 के अन्तर्गत अपीलार्थी धर्मेन्द्र पुत्र बूटाराम जाति जाति ,खत्री, निवासी वार्ड नं05, केदार चौक, पुरानी आबादी, श्रीगंगानगर के विरूद्व इस्तगासा इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि गैरसायल अपराधिक प्रवृति का व्यक्ति है तथा सट्टा की खाईवाली करने का आदी है, गैरसायल की गतिविधियों से क्षेत्र की जनता की सम्पत्ति एवं सुरक्षा को खतरा है । लोग अपनी जान एवं सम्पत्ति के नुक्शान के भय के कारण गवाही को तैयार नहीं है । इसके विरुध्द कुल 12 प्रकरण जुआ अधिनियम के अन्तर्गत दर्ज हुए तथा सभी 12 प्रकरणों में न्यायालय द्वारा सजायाब फरमाया गया है । गैर सायल गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 2 (ख) की श्रेणी में आता है ।
3. उपर्युक्त इस्तगासा प्रस्तुत होने पर न्यायालय अति.जिला मजिस्ट्रेट (नगर) श्रीगंगानगर द्वारा दिनांक 18.2.2014 को अनुसूची प्रपत्र–1 में आरोपों की सूचना देते हुए जवाब स्पष्टीकरण हेतु नोटिस जारी कर दिनांक 4.3.14 की तारीख पेशी दी गयी । प्रकरण में निर्धारित तारीख पेशी दिनांक 4.3.14 को अपीलान्ट द्वारा जवाब इस्तगासा हेतु अवसर चाहा गया एवं दिनांक 4.4.14 को जवाब पेश किया गया । अपीलान्ट द्वारा जवाब नोटिस पेश करने के पश्चात् प्रार्थी अपीलान्ट एवं अभियोजन पक्ष के साक्ष्य बतौर गवाह लिये गये एवं न्यायालय

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, (नगर) श्रीगंगानगर ने दिनांक 28.9.18 को निर्णय पारित कर अपीलान्ट के विरुध्द गुण्डा नियंत्रण एक्ट की धारा 3 की उप धारा 1 के खण्ड (क)(ख) और (ग) में विरचित तीनों आरोप सिध्द मानते हुए धारा 3(3) के अन्तर्गत गुण्डा घोषित कर अपीलान्ट को जिला क्षेत्र श्रीगंगानगर से 6 माह की अवधि के लिए निष्कासित करने तथा थानाधिकारी पुलिस थाना कोतवाली, चूरु में रिपोर्ट प्रस्तुत करने व मुख्यालय चूरु में रहने के आदेश दिये । न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, (नगर) श्रीगंगानगर के उक्त आदेश दिनांक 28.9.18 के विरुध्द गुण्डा नियत्रंण अधिनियम की धारा 6(1) के अन्तर्गत अपीलान्ट द्वारा इस न्यायालय में यह अपील प्रस्तुत की गयी है ।

4. उक्त अपील प्रस्तुत होने पर अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड प्राप्त किया गया । प्रकरण अभिभाषक अपीलान्ट एवं सहायक लोक अभियोजक की बहस सुनी गयी ।

5. अभिभाषक अपीलान्ट ने अपनी बहस में बताया कि अपीलार्थी के विरुध्द राजस्थान पब्लिक गैंबलिंग अधिनियम के तहत पुलिस द्वारा झूठे मुकदमे दर्ज किये गये हैं, जिनमें 100/– रुपये जुर्माने का प्रावधान है । गुण्डा नियंत्रण अधिनियम की धारा 2 ख (5) में जिन अपराधों का जिक्र है, उनमें से प्रार्थी पर कोई प्रकरण दर्ज नहीं है । अपीलार्थी सामाजिक प्राणी है, परिवार वाला है । अपीलान्ट के विरुध्द शराब, अफीम, लड़ाई झगड़ा, छेड़छाड़ आदि का कोई मामला दर्ज नहीं हुआ है । अभियोजन पक्ष की ओर से ऐसा कोई स्वतंत्र गवाह पेश नहीं किया गया है, जिसने यह बताया हो कि मोहल्ले में किसी अन्य व्यक्ति से अपीलार्थी से खतरा हो । प्रार्थी अपीलान्ट पर जुआ–सट्टे के जो मुकदमे बनाये गये हैं, वह पुलिस द्वारा बड़े खाईवालों के कहने से बनाये हैं । विगत 5 वर्षो से प्रार्थी अपीलान्ट के विरुध्द कोई प्रकरण दर्ज नहीं हुआ है, नां ही विचाराधीन है । प्रार्थी ने ऐसा कोई कार्य नहीं किया, जिसक काराण किसी व्यक्ति के शरीर या सम्पत्ति को खतरा या नुकसान हो रह हो । प्रार्थी अपीलान्ट मजदूरी पेशा व्यक्ति है, उसके घर पर वृध्द माता पिता है, जिनकी देखभाल करने वाला प्रार्थी अपीलान्ट के अतिरिक्त कोई नहीं है । अतः अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट(नगर) श्रीगंगानगर का आदेश दिनांक 28.9.18 निरस्त फरमाया जावे ।

6. प्रकरण में राज्य पक्ष की ओर से सहायक लोक अभियोजक ने अपनी बहस में बताया कि अपीलान्ट के विरुध्द धारा 13 आरपीजीओ के तहत कुल 12 प्रकरण दर्ज हुए, जिनमें बाद अनुसन्धान न्यायालाय में चालान पेश किया गया तथा सक्षम न्यायालाय द्वारा सभी 12 प्रकरणों में न्यायालय द्वारा सजायाब फरमाया गया है । प्रकरण में धारा 3(1) की उप धारा ''क'' ''ख'' ''ग'' में विनिर्दिष्ट स्थितियों को सिध्द करने के लिए अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य रपट रोजनामचा दिनांक 12.2.14 एवम् अभियोजन पक्ष के गवाहों के अनुसार गैर सायल मौहल्ले के लोगों को धमकाता है, जिसके कारण से मोहल्ले में भय बना हुआ है तथा इसके विरुध्द गवाही देने से डरते हैं । गैर सायल चोरी छिपे सट्टे का काम करता है । अपीलान्ट द्वारा अभियोजन पक्ष की साक्ष्य का खण्डन नहीं किया गया है । अपीलान्ट द्वारा

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

वार्ड नं04 के दो लागों का हल्फनामा दिलावाया गया है, जबकि अपीलान्ट वार्ड सं05 का निवासी है । गैर सायल गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 2 (ख) की श्रेणी में आता है । अतः अपील अपीलान्ट निरस्त फरमाई जावे ।

7. हमने उभय पक्ष की बहस को मध्यनजर रखते हुए उपलब्ध अभिलेख का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया । जिला पुलिस अधीक्षक, श्रीगंगानगर द्वारा प्रस्तुत इस्तगासा के अनुसार अपीलार्थी के विरुध्द जुआ अधिनियमं की धारा 13 के अन्तर्गत निम्नलिखित 12 मुकदमे दर्ज होकर सजायाब हुआ है :–

क.सं.	मु.नं. व दिनांक	धारा	न्यायालय निर्णय दिनांक	नतीजा
1	60 / 3.3.12	13 RPGO	19.3.12	सजा
2	71 / 6.3.12	13 RPGO	15.3.12	सजा
3	176 / 13.6.12	13 RPGO.	20.6.12	सजा
4	269 / 18.9.12	13 RPGO	3.10.12	सजा
5	301 / 22.10.12	13 RPGO	19.11.12	सजा
6	338 / 23.11.12	13 RPGO	17.12.12	सजा
7	92 / 13.3.13	13 RPGO	1.4.13	सजा
8	135 / 16.4.13	13 RPGO	7.5.13	सजा
9	268 / 6.8.13	13 RPGO	118.10.13	सजा
10	283 / 20.8.13	13 RPGO	3.9.13	सजा
11	326 / 22.9.13	13 RPGO	19.11.13	सजा
12	343 / 8.10.13	13 RPGO	21.11.13	सजा

8. राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 3 के तंहत जिले से निष्कासन हेतु निम्नलिखित तीन शर्तो का होना आवश्यक है :–

9. क– वंह व्यक्ति गुण्डा हो ।

ख– (i) उसकी गतिविधियों से जिले / किसी भाग में व्यक्तियों की सम्पत्ति को खतरा उत्पन्न कराने या नुकसान कराने वाली है ।

(ii) वह व्यक्ति धारा 2 के खण्ड (ख) के उपखण्ड (i) से (vi) में विनिर्दिष्ट किसी अपराध या कृत्य के करने या उसके लिए दुष्प्रेरित करने में लगा हुआ है ।

ग– साक्षीगण अपने शरीर या सम्पत्ति की सुरक्षा के सम्बन्ध में आशंकित होने के कारण उसके विरुध्द साक्ष्य देने के लिए आगे आने के इच्छुक नहीं है ।

10. राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम की धारा 2–ख(5) अनुसार राजस्थान लोक धूत अध्यादेश 1949 के अधीन कम से कम दो बार दोष सिध्द होने पर वह गुण्डा की श्रेणी में आता है । अपीलार्थी के विरुध्द धारा 13 आरपीजीओ के अन्तर्गत वर्ष 2012–13 व 2013–14 में कुल 12 मुकदमे दर्ज हुए उक्त सभी 12 प्रकरणों में न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को सजायाब किया गया है । इस प्रकार अपीलार्थी धारा 2 ख–2 अनुसार गुण्डा की परिभाषा में आता है । प्रकरण में नकल रपट रोजनामचा आम दिनाक 12.2.14 अनुसार अपीलान्ट चोरी छिपे सट्टे की खाईवाली करने का कार्य करता है तथा मोहल्ले के लोगों को कहता है कि अगर हमारे बारे में पुलिस को सूचना दी गयी तो खैर नहीं होगी । जिससे मोहल्ले में निवास करने वाले लोगों में भय बना हुआ है, इस कारण इनके विरुध्द किसी व्यक्ति की रिपोर्ट देने

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

की वा मुकदमा दर्ज करने की हिम्मत नहीं है । इसके अलावा अभियोजन पक्ष के गवाह श्री सत्येन्द्र कुमार पूर्व थानाधिकारी, पुरानी आबादी ने अपने बयान दिनांक 19.6.17 में बताया कि अपीलार्थी सट्टा की खाईवाली करने का आदि है । गैर सायाल के विरुध्द धारा 13 आरपीजीओ के 12 प्रकरण दर्ज हुए, सभी में सजा है । गैर सायल का आमजन में भय व्याप्त है, जिसके कारण आमजन इसके विरुध्द सूचना देने में घबराता है । अभियोजन पक्ष के अन्य गवाह श्री जगदीशसिंह पूर्व ए.एस.आई ने गैर सायल के विरुध्द धारा 13आरपीजीओ के 2 प्रकरण दर्ज करने का अपने बयानों में उल्लेख किया है । प्रकरण में प्रार्थी अपीलान्ट द्वारा अपने बचाव पक्ष में कोई गवाह पेश नहीं किया, केवल वार्ड नं04 के 2 व्यक्तियों के हल्फनामा प्रस्तुत करवाये गये हैं जबकि अपीलान्ट वार्ड नं05 का निवासी है ।

11. उपरोक्त विवेचन के आधार पर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि अपीलान्ट गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 2 ख की उप धारा (5) के अन्तर्गत गुण्डे की परिभाषा में आता है । रपट रोजनामा व अभियोजन पक्ष के गवाहों के अनुसार अपीलार्थी अवैध सट्टे के कारोबार में लिप्त है । अपीलार्थी का लोगों में भय है एवम् भय के कारण आमजन अपीलान्ट क विरुध्द शिकायत करने से डरते हैं । अपीलान्ट के भय से आमजन की सम्पत्ति को खतरा एवं संत्रास है । इस प्रकार अपीलान्ट के विरुध्द गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 3 की उप धारा (1) के खण्ड ''क'' ''ख'' ''ग'' में विनिर्दिष्ट तीनें शर्ते पूरी होने से न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रट (नगर) श्रीगंगानगर द्वारा अपीलान्ट को 6 माह की अवधि के लिए जिला क्षेत्र श्रीगंगानगर से निष्कासित करते हुए निष्कासित अवधि में जिला चूरु के थानाधिकारी, पुलिस थाना कोतवाली, चूरु को रिपोर्ट दिये जाने के आदेश दिये गये हैं, उसमें हम किसी भी प्रकार से परिवर्तन किया जाना उचित नहीं समझते हैं । अतः निष्कासन की सजा को यथावत रखा जाता है तथा अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रट (नगर) श्रीगंगानगर अपीलाधीन आदेश दि0 28.9.18 यथावत रखते हुए अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है ।

12. तद्नुसार अपील अपीलान्ट निर्णीत शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड मय निर्णय प्रति सहित लौटाया जाकर पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो । निर्णय आज दिनांक 26.12.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(हनुमान सहाय मीना)
संभागीय आयुक्त
बीकानेर